बनाम

26/12/19 पत्रावली कस्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी सं. 1 का आवेदन बाबत विधिक कल्पना स्वीकार किया जाकर केशरसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त करने इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। निर्णय प्रापक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
घोद म सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 24/16/212(2) आरटीए वास्ते रिसीवर नियुक्ति हेतु

केसरसिंह **बनाम** **भवानी सिंह आदि**

<u>प्राथमिक विधिक आपत्ति दिनांकित 27.09.2019</u>

उपस्थिति–

1. **श्री सांवरमल वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से**
2. **श्री विजय कुमार शर्मा वकील जवाबदाता/प्रार्थी की ओर से**

निर्णय आवेदन प्राथमिक विधिक आपत्ति

दिनांक– 26.12.2019

01. वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन वास्ते रिसीवर नियुक्ति दावा सं. 93/12 बी.टी. नं. 368/14 उनवान भवानीसिंह बनाम मोहनी आदि के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त वाद में आवेदक केशरसिंह वादी नहीं होकर प्रतिवादी है तथा उसकी ओर से उक्त वाद में कोई काउण्टर वाद नहीं किया गया है। विधि एवं नियमानुसार अ.धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वही व्यक्ति रिसीवर नियुक्ति हेतु आवेदन करने हेतु अधिकृत है, जिसकी ओर से दावा एवं काउंटर वाद पेश किया हुआ हो और वह विचाराधीन हो। इसलिए प्रस्तुत आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्ति हेतु बिना काउंटर वाद के चलने योग्य नहीं है और प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आवेदन अ.धा. 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रिसीवर नियुक्त करने हेतु खारिज करने की कृपा करें।

02. आवेदन प्राथमिक विधिक आपत्ति पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील जवाबदाता/प्रार्थी को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने आवेदन आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रस्तुत आवेदन प्रकरण सं. 368/2014 उनवान भवानीसिंह बनाम मोहनी आदि के आधार पर प्रस्तुत किया जाना सही है। प्रस्तुत आवेदन में केसरसिंह का प्रतिवादी होना स्वीकार है। उक्त वाद में केशरसिंह द्वारा कोई काउण्टर वाद प्रस्तुत नहीं किया जाना भी सही है। यह कहना एकदम गलत है कि रिसीवर नियुक्ति हेतु आवेदन केवल दावा अथवा काउण्टर दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही दे सकता हो। धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी अथवा प्रतिवादी दोनों ही रिसीवर नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अप्रार्थी/वादी भवानी सिंह द्वारा यह आवेदन प्रकरण को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी/वादी भवानी सिंह का उक्त आवेदन निरस्त करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी।
धोद म सीकर

Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

03. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान आवेदन प्राथमिक विधिक आपत्ति के तथ्यों को दोहराया। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को बहस के दौरान दोहराया।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल प्रश्न यह है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी बिना काउण्टर दावा/अस्थायी निषेधाज्ञा के रिसीवर नियुक्त करने का आवेदन पेश करता है या नहीं? उक्त भूमि के संबंध में दावा सन् 2012 से विचाराधीन है तथा टी.आई पूर्व में फैसल हो चुकी है। इन दोनों में आवेदक केशरसिंह ने न तो काउण्टर दावा पेश किया तथा न ही काउंटर टी.आई. पेश की है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 11.07.2019 को रिसीवरी का आवेदन पेश किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेश नजीर **RRD 1996 Page 100** एवं **RRD 1987 Page 395** से सहमत होते हुये अप्रार्थी सं. 1 का आवेदन बाबत विधिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर केशरसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त करने इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सज्जपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.01 13:17:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: